स0 स0 14/एम 11–1/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार, पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनाक ..

विषय– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| **क्रमांक** | **मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या** | **बीमारी का नाम** | **अनुदान की राशि** | **राशि शब्दो में** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | मो0 खिलाफत हुसैन<br>पिता– मो0 शहादत<br>ग्राम– कसमा<br>पो0– लक्ष्मीपुर<br>थाना– चाकन्द<br>जिला– गयाजी<br>यूएचआईडी नं0– 107960327 | बोन मैरो ट्रासप्लाट | 3,00,000 | तीन लाख स्वीकृत। |
| 2 | अनुभव राज<br>पिता– महेद्र प्रसाद उर्फ विजय<br>ग्राम– जुडा पकडी<br>पो0– भैरोगंज<br>थाना– रामनगर<br>जिला– पश्चिम चम्पारण<br>यूएचआईडी न0– 107660121 | कोकलियर इम्प्लाट | 3,00,000 | तीन लाख स्वीकृत। |
| 3 | हरिओम कुमार<br>पिता– स्व0 शंकर पासवान<br>ग्राम+पो0– सिघिया घाट<br>थाना– बिभूतिपुर<br>जिला– समस्तीपुर<br>यूएचआईडी नं0– 107063260 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| | | | 6,80,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 6,80,,000/– (छः लाख अस्सी हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता स0–

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000893 . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम– AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार– चालु, बैक का नाम–एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम– **अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),** RTGS/IFSC कोड स0– SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चत किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिचित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2859 (14) पटना, दिनाक 22/10/2024

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000893 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/24
निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14 /एम 11–1/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार, पटना**

प्रेषक,

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली–110029।

पटना, दिनाक. .

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| **क्रमांक** | **मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या** | **बीमारी का नाम** | **अनुदान की राशि** | **राशि शब्दो में** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | परशुराम तिवारी<br>पिता– राजदेव तिवारी<br>ग्राम– बरौरा वार्ड 05<br>पो0– बरौरा<br>थाना– रामगढ<br>जिला– कैमूर भभुआ<br>यूएचआईडी न0– 109270467 | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 75,000 | पचहत्तर हजार<br>स्वीकृत। |
| | | | 75,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹** 75,000/- (**पचहत्तर हजार**) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000873. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–10874584258, खाता धारक का नाम–AIIMS CT PATIENT'S'ACCOUNT खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**एस0 बी0 आई0** शाखा का नाम–.**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),** RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय ।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2860 (14) पटना, दिनांक 22/10/2026

**प्रतिलिपि**– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किसलग्न चेक सं0 000893 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि**– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/26
निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14 /एम 11–01/2026 2861(14)

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार, पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनाक 22/10/2026

विषय.– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मुन्नी देवी<br>पति– संजीव सिंह<br>ग्राम– बसतपुर ककरहटा<br>पो0– धोबौली<br>थाना– बिदुपुर<br>जिला– वैशाली<br>यूएचआईडी न0– 108612421 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | कल्याण शकर प्रसाद<br>पिता– श्री निवास प्राद<br>ग्राम– पकडी<br>पो0+थाना– आरा<br>जिला– भोजपुर<br>यूएचआईडी न0– 103125521 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | **2,00,000** | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 2,00,000/– (**दो लाख**) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'' खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000873 .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **CA** 10874584292,खाता धारक का नाम– DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार– चालु, बैक का नाम–**एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम–**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),** RTGS/IFSC कोड सं0–SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2861(14) पटना, दिनाक 22/10/2024

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0..000893..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, **संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/24
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11–1/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार, पटना**

प्रेषक,

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक. . ..

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| **क्रमांक** | **मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या** | **बीमारी का नाम** | **अनुदान की राशि** | **राशि शब्दो में।** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | काकुली देवी<br>पति– विपिन कुमार झा<br>ग्राम– फतेहपुर<br>पो0– बिशम्भरचक<br>थाना– अमरपुर<br>जिला– बाका<br>यूएचआईडी न0– 109378961 | Vascular Surgery | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | **₹ 1,00,000/–** | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹** 1,00,000/–**(एक लाख)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000873 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–10874584247, खाता धारक का नाम–AIIMS CNC ACCOUNT खाते का प्रकार– चालु, बैंक का नाम–**एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम–.**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),** RTGS/IFSC कोड सं0–SBIN 0001536 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को**

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2862(14) पटना, दिनाक 22/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 000893 .. ....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) सभी सबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/24
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11–01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनाक . . .

विषय.– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| **क्रमांक** | **मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या** | **बीमारी का नाम** | **अनुदान की राशि** | **राशि शब्दो में** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | दीपनारायण सिह<br>पिता– रामप्रीत सिह<br>ग्राम– भैसही<br>पो0– पदरखाप<br>थाना– भैरोगज<br>जिला– पश्चिम चम्पारण<br>यूएचआईडी नं0– 106810569 | हृदय रोग एमभीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | बिमला देवी<br>पति– गोबिन्द प्रसाद बर्नवाल<br>ग्राम+पो0– तेलवा बाजार<br>थाना– सिमुलतला<br>जिला– जमुई<br>यूएचआईडी न0– 104263485 | हृदय रोग एमभीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 2,00,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 2,00,000/–(दो लाख)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 .100813. .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– 10874584269, खाता धारक का नाम–"AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT'S' ACCOUNT" खाते का प्रकार– चालु, बैक का नाम–**एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम–.**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536)** ,RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक माग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5 **मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2863 (14) पटना, दिनाक 22/10/2021

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 000893.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजो /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10/21
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**
**नई दिल्ली–29 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान**
**झज्जर**

पटना, दिनाक.. ...

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मालती देवी<br>पति– बिनोद कुमार सिह<br>ग्राम– धन्नुचक<br>पो0+थाना– परसा बाजार<br>जिला– पटना<br>यूएचआईडी न0– 109351404 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | फैयाज आलम<br>पिता– फरमान<br>ग्राम– सिमलबाडी<br>पो0– आस्जा मावैया<br>थाना– बायसी<br>जिला– पूर्णियॉ<br>यूएचआईडी नं0– 106613193 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | **2,00,000** | |

**नोट :– चेक/RTGS/NEFT "NCI PATIENT TREATMENT Account" के नाम से निर्गत।**

**A/C No. 39575186672, IFSC Code SBIN0061298.**

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000 /– **(दो लाख)** रूपये का क्रास चेक स0..000893.. . . . .मूल रूप मे संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की**

राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2864(14) पटना, दिनाक 22/10/2026

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ सबंधित मरीज /आई.टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
सजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान सस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ,–226014

पटना, दिनाक. .

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राषि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पिंकी प्रसाद<br>पति– विकाश पासवान<br>ग्राम+पो0– छितौना<br>थाना– विजयीपुर<br>जिला– गोपालगज<br>सीआर नं0– 2026812518 | हृदय रोग<br>डीभीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | बिट्टु कुमार<br>पिता– स्व0 सुरेश राय<br>ग्राम– समसीपुर<br>पो0– रूपसवाज<br>थाना– बछवाडा<br>जिला– बेगूसराय<br>सीआर न0– 2023927792 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 3 | अजीत कुमार महतो<br>पिता– अमर महतो<br>ग्राम– परसही<br>पो0– बनपुरा<br>थाना– रसूलपुर<br>जिला– सारण<br>सीआर न0– 2026379746 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 4 | गोपाल जी चौधरी<br>पिता– महादेव चौधरी<br>ग्राम+पो0– घेघवा<br>थाना– मधुबन<br>जिला– पूर्वी चम्पारण<br>सीआर न0– 2026164794 | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | सदीप कुमार<br>पिता– राम अधार राय<br>ग्राम– राजाडीह<br>पो0– वृदावन<br>थाना– तरियानी<br>जिला– शिवहर<br>सीआर न0– 2026596675 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 6 | राजेद्र मिस्त्री<br>पिता– स्व0 छोटू मिस्त्री<br>ग्राम– यारपुर<br>पो0– योगीपुर<br>थाना– हिलसा<br>जिला– नालदा<br>सीआर न0– 20231001195 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 7 | सुरेन्द्र सिंह<br>पिता– चन्द्रदेव सिह<br>ग्राम– मोहारी<br>पो0– कमरौली<br>थाना– तरियानी<br>जिला– शिवहर<br>सीआर न0– 2026367156 | ह्रदय रोग<br>एभीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 8 | शिव पूजन प्रसाद<br>पिता– बद्री प्रसाद<br>ग्राम– गोनियार<br>पो0– उदन्त राय के बगरा<br>थाना– थावे<br>जिला– गोपालगज<br>सीआर न0– 20251162441 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 9 | रामा शकर<br>पिता– कैलाश ठाकुर<br>ग्राम– माडर खास<br>पो0+थाना– विजयीपुर<br>जिला– गोपालगंज<br>सीआर न0– 2026950736 | ह्रदय रोग<br>सीएबीजी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 10 | गीता देवी<br>पति– अरूण कुमार<br>ग्राम– बालूपर कुर्जी<br>पो0– सदाकत आश्रम<br>थाना– दीघा<br>जिला– पटना<br>सीआर नं0– 2026462965 | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 11 | गौरव कुमार<br>पिता– लालबाबू प्रसाद<br>ग्राम+पो0– माहपुर<br>थाना– बोचहां<br>जिला– मुजफ्फरपुर<br>सीआर न0– 2017831716 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | मनीष कुमार सिह<br>पिता– सत्येद्र सिंह<br>ग्राम– बगरा उज्जैन<br>पो0– मियां के भटकन<br>थाना– आन्दर<br>जिला– सिवान<br>सीआर न0– 2022601412 | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 13 | पकज कुमार राउत<br>पिता– राम अशोक राउत<br>ग्राम+पो0– नगवास<br>थाना– अरेर<br>जिला– मधुबनी<br>सीआर नं0– 2026941002 | बोन मैरो<br>ट्रासप्लाट | 3,00,000 | तीन लाख स्वीकृत। |
| 14 | सिमा देवी<br>पति– मोख्तार यादव<br>ग्राम– जुमन छपरा<br>पो0– लक्ष्मीगंज<br>थाना– गोरैयाकोठी<br>जिला– सिवान<br>सीआर न0– 2026688553 | हृदय रोग<br>एमभीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 15 | बंशी धर पाल<br>पिता– स्व0 रामकुमार पाल<br>ग्राम+पो0– धनेज<br>थाना– करगहर<br>जिला– रोहतास<br>सीआर नं0– 2011733413 | गुर्दा प्रत्यारोपन | 2,75,000 | दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 16 | गगेश्वर कुमार<br>पिता– हरी पटेल<br>ग्राम– खैरहनी दोन<br>पो0– नौरंगिया दोन<br>थाना– गोबरहिया<br>जिला– पश्चिम चम्पारण<br>सीआर न0– 2023995521 | ब्रेन सर्जरी | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 17 | उमेश कुमार प्रसाद<br>पिता– राम कवल यादव<br>ग्राम– महम्मदपुर पट्टी<br>पो0– काला डुमरा<br>थाना– जी बी नगर<br>जिला– सिवान<br>सीआर न0– 20251234000 | अप्लास्टिक<br>एनेमिया | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे। |
| 18 | नितेश कुमार<br>पिता– देवनाथ साह<br>ग्राम– पडौली टोला लछुआ<br>पो0– सोहिलापट्टी<br>थाना– लकडी नवीगज<br>जिला– सिवान<br>सीआर न0– 2026724101 | अप्लास्टिक<br>एनेमिया | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | रविन्द्र कुमार<br>पिता– हरद्वार प्रसाद सिंह<br>ग्राम– बराप वार्ड 09<br>पो0– बगवा<br>थाना– अगिआव<br>जिला– भोजपुर<br>सीआर न0– 2023526840 | गुर्दा प्रत्यारोपन | 2,75,000 | दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 20 | रामाकान्त प्रसाद चौरसिया<br>पिता– रामानद चौरसिया<br>ग्राम– मिसकरही गली मैरवा<br>पो0+थाना– मैरवा<br>जिला– सिवान<br>सीआर न0– 2026886574 | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 21 | शेष नाथ साह<br>पिता– रामायण साह<br>ग्राम– सिरिसिया बाबू टोला वार्ड 01<br>पो0– सासामुसा<br>थाना– कुचायकोट<br>जिला– गोपालगंज<br>सीआर न0– 2023339518 | Aplastic Anemia | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | 26,10,000 -/ | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹** 26,10,000/– **(छब्बीस लाख दस हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000893 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम–"**निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0** खाता" खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**भारतीय स्टेट बैंक,** शाखा का नाम–**एस0जी0पी0जी0आई0,** RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0007789 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि**

मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2865(14) पटना, दिनाक 22/10/2021

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 000873 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )// आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/21
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी –**221005**

पटना, दिनाक. . .

विषय:– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक– **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:–

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 5 |
| 1 | पुष्पा देवी<br>पति– हरेद्र सिह<br>ग्राम– गम्हरिया<br>पो0– मीव<br>थाना– बेलांव<br>जिला– कैमूर भभुआ<br>एमआरडी न0– 8494962 | हृदय रोग<br>पीटीसीए | 85,000 | पचासी हजार<br>स्वीकृत। |
| 2 | तूफानी पंडित<br>पिता– अलगू पंडित<br>ग्राम+पो0– अहियापुर<br>थाना– विजयीपुर<br>जिला– गोपालगंज<br>एमआइडी न0– 8510459 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख<br>स्वीकृत। |
| | | | ₹ 1,85,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/– (**एक लाख पचासी हजार**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000873 ....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **27790100039150** खाता धारक का नाम– **Other-Paitent Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **Bank of Baroda**, शाखा का नाम– **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड स0 BARB0BHUVAR में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2866 (14) पटना, दिनाक 22/10/2026

**प्रतिलिपि**– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 000293.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि'**– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/26
निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14/एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार, पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
**होमी भाभा कैसर अस्पताल**
**घंटी मिल रोड, लहरतारा,**
**ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा**
**वाराणसी 221002**

पटना, दिनाक

विषय:– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | किरण देवी<br>पति– बिमलेश सिंह<br>ग्राम– चकबैरिया<br>पो0– बैरिया<br>थाना– गोपालपुर<br>जिला– पटना<br>केस फाईल न0–18एफ2026/013813 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | गोपाल साह<br>पिता– स्व0 जीउत साह<br>ग्राम– देउवा<br>पो0– बराढी<br>थाना– चैनपुर<br>जिला– कैमूर भभुआ<br>केस फाईल न0–18एफ2023/019736 | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 3 | रिशु राज<br>पिता– सतोष कुमार<br>ग्राम+पो0– नवादा आरा<br>थाना– आरा नवादा<br>जिला– भोजपुर<br>केस फाईल न0–16एफ2024/000976 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | मो0 तौकीर आलम<br>पिता– मो0 गुलाम महिउद्दीन असारी<br>ग्राम+पो0– परसौनी<br>थाना– बरूराज<br>जिला– मुजफ्फरपुर<br>केस फाईल न0–19एफ2026/007498 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | मजू देवी<br>पति– धरमदेव शर्मा<br>ग्राम– बघाईला<br>पो0+थाना– चांद<br>जिला– कैमूर भभुआ<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 002955 | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 6 | मंजु देवी<br>पति– धनजय प्रसाद<br>ग्राम– लोदीपुर<br>पो0– खड्डी लोदीपुर<br>थाना– तेल्हारा<br>जिला– नालदा<br>केस फाईल नं0–18एफ2026 / 015553 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 7 | रामजनम साह<br>पिता– रामचद्र साह<br>ग्राम– रजुआ बखरी<br>पो0+थाना– मेहसी<br>जिला– पूर्वी चम्पारण<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 003585 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | इंदु देवी<br>पति– कृष्णा राम<br>ग्राम– थाना बिगहा<br>पो0– उन्थू<br>थाना– फेसर<br>जिला– औरगाबाद<br>केस फाईल नं0– केई / 10065 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 9 | दिनेश कुशवाहा<br>पिता– विजयभान महतो<br>ग्राम– रूपवलिया<br>पो0+थाना– गौनाहा<br>जिला– पश्चिम चम्पारण<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 012847 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 10 | रोहित कुमार<br>पिता– विनोद भगत<br>ग्राम– अली नेउरा<br>पो0– दौड छपरा<br>थाना– मीनापुर<br>जिला– मुजफ्फरपुर<br>केस फाईल न0–19एफ2026 / 001975 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 11 | गणपति सिह<br>पिता– स्व0 ठग सिह<br>ग्राम+पो0– सिसराढ<br>थाना– राजपुर<br>जिला– बक्सर<br>केस फाईल नं0–16एफ2024 / 002219 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | मास्टर कैलाश कुमार<br>पिता– मिहिन यादव<br>ग्राम– किशनपुर<br>पो0– सहजादपुर<br>थाना– नाथनगर<br>जिला– भागलपुर<br>केस फाईल न0–16एफ2024 / 002410 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 13 | सजीव चौबय<br>पिता– नागेद्र चौबय<br>ग्राम+पो0– आदर्श लक्ष्मीपुर<br>थाना– बडहिया<br>जिला– लखीसराय<br>केस फाईल नं0–18एफ2026 / 015429 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 14 | माही<br>पिता– रमन कुमार पांडेय<br>ग्राम+पो0– उनवास<br>थाना– इटाढी<br>जिला– बक्सर<br>केस फाईल न0–19एफ2026 / 006613 | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 15 | पूनम देवी<br>पति– राजेश यादव<br>ग्राम– जवही दियर<br>पो0– बलुआ<br>थाना– ब्रहमपुर<br>जिला– बक्सर<br>केस फाईल नं0–18एफ2024 / 012961 | कैंसर रोग | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 16 | सलमा खातून<br>पति– मुमताज शेख<br>ग्राम– नाजीरगज<br>पो0– मठिला<br>थाना– कोरानसराय<br>जिला– बक्सर<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 011574 | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 17 | अभिषेक कुमार<br>पिता– आनद कुमार<br>ग्राम+पो0+थाना– डोभी<br>जिला– गयाजी<br>केस फाईल नं0–18एफ2024 / 017700 | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 18 | मधु वाला सिन्हा<br>पति– ध्रुब कुमार सहाय<br>ग्राम– समसारा<br>पो0– सदीसोपुर<br>थाना– बिहटा<br>जिला– पटना<br>केस फाईल न0–11एफ2026 / 006896 | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | बसत बैठा<br>पिता– भूखल बैठा<br>ग्राम– मझवलिया<br>पो0– बगही बाजार<br>थाना– कटेया<br>जिला– गोपालगज<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 013102 | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 20 | रामावती देवी<br>पति– गोरख प्रसाद<br>ग्राम– बबुनिया रोड सिवान<br>पो0– सिवान थाना– नगर<br>जिला– सिवान<br>केस फाईल न0–18एफ2023 / 016948 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 21 | प्रभावती देवी<br>पति– राज किशोर साह<br>ग्राम– दामोदरपुर<br>पो0– मिर्जापुर थाना– मढौरा<br>जिला– सारण<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 010797 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 22 | नदनी कुमारी<br>पिता– बबलू बिन्द<br>ग्राम+पो0– मनिहारी<br>थाना– भभुआ<br>जिला– कैमूर भभुआ<br>केस फाईल न0–16एफ2026 / 001726 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 23 | रिकू कुमारी<br>पिता– श्रवण राम<br>ग्राम+पो0+थाना– सरमेरा<br>जिला– नालंदा<br>केस फाईल न0–11एफ2026 / 014290 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 24 | बैजती देवी<br>पति– सुदेश्वर ठाकुर<br>ग्राम+पो0– श्रीखिडा<br>थाना– नोखा<br>जिला– रोहतास<br>केस फाईल न0–11एफ2025 / 000365 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 25 | पुष्पा देवी<br>पति–सत्रुधन सिह<br>ग्राम+पो0– छितौना<br>थाना– कटेया<br>जिला– गोपालगज<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 012807 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 26 | मजूर खान<br>पिता– नसीमुद्दीन खान<br>ग्राम– नौघरा वार्ड 03<br>पो0+थाना– चैनपुर<br>जिला– कैमूर भभुआ<br>केस फाईल न0–16एफ2026 / 001979 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | सुषमा देवी<br>पति– सदीप कुमार<br>ग्राम– कचहरा वार्ड 03<br>पो0– सरसु<br>थाना– अतरी<br>जिला– गयाजी<br>केस फाईल न0–18एफ2023/018096 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 28 | अनिता देवी<br>पति–बिजेद्र कुमार सिह<br>ग्राम+पो0+थाना– उदवतनगर<br>जिला– भोजपुर<br>केस फाईल न0–18एफ2024/005600 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 29 | उमा देवी<br>पति– राज कुमार साह<br>ग्राम– सूर्यपुर पो0– जीवधारा<br>थाना– पिपराकोठी<br>जिला– पूर्वी चम्पारण<br>केस फाईल न0–18एफ2026/016204 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 30 | उर्मिला देवी<br>पति– कन्हैया लाल सिंह<br>ग्राम– मुरारपट्टी<br>पो0– कीलपुर थाना– नौतन<br>जिला– सिवान<br>केस फाईल नं0– सीएस/03835 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 31 | उषा देवी<br>पति– प्रकाश राय<br>ग्राम+पो0– बीरमपुर<br>थाना– गीधा<br>जिला– भोजपुर<br>केस फाईल नं0–18एफ2026/012537 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 32 | हरिचरण साह<br>पिता– राजकिशोर साह<br>ग्राम– नटवार कला<br>पो0+थाना– नटवार<br>जिला– रोहतास<br>केस फाईल न0–18एफ2025/009122 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 33 | नगमा खातून<br>पिता– आदिल वहाब<br>ग्राम– मस्तान टोला बनकटवा<br>पो0+थाना– बगहा<br>जिला– पश्चिम चम्पारण<br>केस फाईल न0–18एफ2026/006732 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 34 | अर्जुन सिंह<br>पिता– स्व0 कामेश्वर सिह<br>ग्राम– खरजामा<br>पो0– बरौली थाना– बरूण<br>जिला– औरगाबाद<br>केस फाईल न0–11एफ2026/009603 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | अखिलेश कुमार जैन<br>पिता– महेश्वर प्रसाद जैन<br>ग्राम– बढैया फाटक महाजन टोली<br>न0 01<br>पो0+थाना– आरा<br>जिला– भोजपुर<br>केस फाईल न0–18एफ2024 / 020578 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 36 | निरंजन कुमार शर्मा<br>पिता– स्व0 बलदेव शर्मा<br>ग्राम– बीचा गॉव वा र्ड 38<br>पो0– मुंगेर<br>थाना– कासिमबाजार<br>जिला– मुगेर<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 015196 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 37 | शुषमा देवी<br>पति– रविंद्र कुमार सिंह<br>ग्राम+पो0– मजुरही<br>थाना– मुफ्फशील<br>जिला– औरगाबाद<br>केस फाईल न0– केडी / 15101 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 38 | प्रियका देवी<br>पति– गुड्डु कुमार रवि<br>ग्राम– मीरचक पो0– दौलतपुर<br>थाना– भगवानगज<br>जिला– पटना<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 000897 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में। |
| 39 | कलावती देवी<br>पति– लाल बहादुर चौधरी<br>ग्राम+पो0– कैथी<br>थाना– कछबॉ<br>जिला– रोहतास<br>केस फाईल न0–18एफ2025 / 008406 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 40 | लालती देवी<br>पति– बबन सिह<br>ग्राम– महरानिया<br>पो0– भधोकाहरा थाना– दरीगांव<br>जिला– रोहतास<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 015777 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 41 | पूनम देवी<br>पति– सिकंदर कुमार<br>ग्राम– सरासत वार्ड 10<br>पो0+थाना– नौबतपुर<br>जिला– पटना<br>केस फाईल न0–18एफ2026 / 016410 | कैसर रोग | 2,00,000 | दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे। |
| | | | 39,35,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 39,35,000/- (**उनचालीस लाख पैतीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान / अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000873.....द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **3675632747** खाता धारक का नाम– **होमी भाभा कैंसर हौस्पीटल,वाराणसी,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0285166 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2867(14) पटना, दिनाक– 22/10/2024

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000883 .....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/24
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11–01 / 2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

**प्रेषक**

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
**टाटा स्मारक अस्पताल,**
**परेल, मुम्बई –400012**

पटना, दिनाक. . . ..

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मनीषा कुमारी<br>पति– सजीत कुमार तिवारी<br>ग्राम+पो0– तुरहापट्टी<br>थाना– सिरिसिया<br>जिला– पश्चिम चम्पारण<br>केस फाईल नं0– सीएस / 13898 | कैंसर रोग | 30,000 | तीस हजार स्वीकृत। |
| 2 | योगेन्द्र पंडित<br>पिता– स्व0 अदालत पडित<br>ग्राम– खेम मटिहनियॉ<br>पो0– दुर्ग मटिहनियॉ<br>थाना– विश्वम्भरपुर<br>जिला– गोपालगंज<br>केस फाईल न0– 11एफ2024 / 018585 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 3 | राधावती देवी<br>पति– अरविन्द कुमार<br>ग्राम– मछली गली राजा बाजार<br>पो0– बी0वी0 कॉलेज<br>थाना– शास्त्रीनगर<br>जिला– पटना<br>केस फाईल न0– 12एफ2026 / 006733 | कैसर रोग | 30,000 | तीस हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,10,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹** 1,10,000/- (**एक लाख दस हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000893 .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **1002449683** खाता धारक का नाम– **टाटा**

**स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– **टी0एम0एच0,** RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2868(14) पटना, दिनाक 22/10/2026

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000823 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/26

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/ एम 11–1/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
धर्मशीला नारायणा सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल,
वसुन्धरा इनक्लेव, नियर अशोकनगर मेट्रो स्टेशन,
दिल्ली 110096

पटना, दिनाक. ....

विषयः– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | नलीन रजन सिंह<br>पिता– स्व0 रामचद्र प्रसाद सिंह<br>ग्राम– निपनियां नगर परिषद्<br>बरौनी<br>पो0– बरौनी<br>थाना– फुलवरिया<br>जिला– बेगूसराय | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | रू0 1,00,000/– | |

2. उक्त अनुदानं की कुल राशि **1,00,000/– (एक लाख)** भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000893 .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **001494600001402,** खाता धारक का नाम– **DHARAMSHILA NARAYANA SUPERSPECIALITY HOSPITAL,** खाते का प्रकार– **SAVING,** बैक का नाम– **YES BANK LIMITED,** शाखा का नाम– **SECTOR-63 NOIDA (UP),** RTGS/IFSC कोड स0 **YESB0000014** में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2882(14) पटना, दिनांक 22/10/2024

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 000.893 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर देया जाय।

**प्रतिलिपि'–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/24

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
**स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एडं रिसर्च सेंटर लि0**
**ओखला रोड,**
**नई दिल्ली 110025**

पटना, दिनाक . ....

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मनोज यादव<br>पिता– बरमेश्वर यादव<br>ग्राम+पो0– नुआव<br>थाना– कृष्णाब्रहम<br>जिला– बक्सर | गुर्दा प्रत्यारोपन | 2,75,000 | दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 2 | नूर फातमा<br>पति– सलाहुद्दीन<br>ग्राम– इदरवा बैरम<br>पो0– सुकुलवा खुर्द<br>थाना– गोपालगज<br>जिला– गोपालगज | हृदय रोग सीएबीजी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 3 | मो0 जाहिद हुसैन<br>पिता– मो0 हासीम<br>ग्राम+पो0– बरहुलिया<br>थाना– सिमरी बाजार<br>जिला– दरभगा | हृदय रोग सीएबीजी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | **₹ 4,75,000** | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 4,75,000/–(चार लाख पचहत्तर हजार)** मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000893.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **006–297816–001,** खाता धारक का नाम– **स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एडं रिसर्च सेंटर लि0**, खाते का प्रकार– चालु, बैक का नाम The Hong Kong and Shanghai

Banking Corporatic शाखा का नाम– **Mumbai** RTGS/IFSC कोड स0–HSBC 0400002 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावनः रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन
ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2983 (14) पटना, दिनाक 22/10/2024

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000893 . की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) सभी संबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/24
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
**मैक्स सुपर स्पेश्लीटी अस्पताल ईस्ट ब्लॉक**
**(ए यूनिट ऑफ देवकी देवी फॉउण्डेशन) साकेत**
**2, प्रेस इन्कलेव रोड साकेत, नई दिल्ली– 110017**

पटना, दिनाक. .... .

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **14.10.2026** की बैठक मे लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सेहरिश फजल (Sehrish Fazal)<br>पिता– शाहनवाज आलम<br>ग्राम– रगामाटी पुराना टोला<br>पो0– तालबाडी<br>थाना– अमौर<br>जिला– पूर्णियॉ | कैसर रोग | 1,20,000 | एक लाख बीस हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,20,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,20,000/– (एक लाख बीस हजार)** मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000893 . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **650014107927,** खाता धारक का नाम– **Devaki Devi Foundation**, खाते का प्रकार– Cash Credit Account, बैक का नाम Indusind Bank Limited शाखा का नाम– **Dr. Gopal Das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi – 110001,** RTGS/IFSC कोड सं0– INDB0000005 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

6. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

7. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2884 (14) पटना, दिनांक 22/10/2024

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0.000893 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/24
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11–1/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
Max Super Speciality Hospital Noida
(A Unit of Crosslay Remedies Limited)
Wish Town, Sector 128
Noida - 201304

पटना, दिनाक . .. ..

विषय– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **14.10.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | इद्रजीत पाडेय<br>पिता– बच्चा पांडेय<br>ग्राम– महुई नौका टोला<br>पो0– महुई<br>थाना– रामनगर<br>जिला– पश्चिम चम्पारण | स्पाईन सर्जरी | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| | | | ₹ 75,000/– | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 75,000/–(पचहत्तर हजार)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000893. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **925020006586148,** खाता धारक का नाम– **CROSSLAY REMEDIES LIMITED**, खाते का प्रकार– **COLLECTION ACCOUNT**, बैक का नाम– **AXIS BANK LIMITED,** शाखा का नाम– **Sector 128 Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201304**, RTGS/ IFSC कोड स0 **UTIB0004626** में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को एरेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

6. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

7. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2885 (14) पटना, दिनांक 22/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000873 ..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, सबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

22/10/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार, पटना**

**प्रेषक**

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
**मेदान्ता द मेडिसिटी,**
**सेक्टर–38, गुरूग्राम, हरियाणा,**
**पिन–122001**

पटना, दिनाक . .. . . .

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'' के प्राधिकृत समिति की दिनांक **14.10.2026** की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रविन्द्र राय<br>पिता– राम सागर राय<br>ग्राम– धुरलख<br>पो0– किशनपुर<br>थाना– वारिसनगर<br>जिला– समस्तीपुर | ब्रेन सर्जरी | 2,00,000 | दो लाख स्वीकृत। |
| 2 | हिमाशु कुमार तिवारी<br>पिता– नित्या नन्द तिवारी<br>ग्राम– हुस्सेपुर टोला घानाछापर<br>पो0– हुस्सेपुर<br>थाना– भोरे<br>जिला– गोपालगंज | गुर्दा प्रत्यारोपन | 2,75,000 | दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| | | | 4,75,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,75,000/– (**चार लाख पचहत्तर हजार**) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000893 . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–**106905001433,** खाता धारक का नाम– **ग्लोबल हेल्थ प्रा0 लि0, पेयबल– दिल्ली/गुड़गांव,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–ICICI Bank, शाखा का नाम–, RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0001148 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6 **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2886(14) पटना, दिनाक 22/10/2026

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000813.. की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीज के** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11–1/2026 2887(14)

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार, पटना**

**प्रेषक**

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
**Medanta Hospital,**
**Sector-A, Pocket 1,**
**Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,**
**Lucknow - 226030**

पटना, दिनाक 22/10/2026

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

"मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक **14.10.2026** की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ललिता कुमारी<br>पति– मुकेश कुमार<br>ग्राम– नौवा<br>पो0– दैदहा<br>थाना– दिनारा<br>जिला– रोहतास | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 1,00,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/– (**एक लाख**) रू0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000823 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **41120248418,** खाता धारक का नाम– Global Health Limited, खाते का प्रकार– , बैंक का नाम– STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम–, RTGS/IFSC कोड स0– SBIN0004298 में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

22/10/26

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2887 (14) पटना, दिनाक 22/10/2026

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 000893 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीज के** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/26

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/.एम 11–1/2026
**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**
**बिहार,पटना**

**प्रेषक**

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

**सेवा में ,**

निदेशक,
**TENDER PALM SUPER SPECIALITY HOSPITAL,**
**Gomati Nagar Extension,**
**Shaheed Path, Lucknow - 226002**

पटना, दिनाक . .

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कुमार अभिषेक<br>पिता– अमरनाथ<br>ग्राम– गंजपर<br>पो0+थाना– बरबीघा<br>जिला– शेखपुरा | गुर्दा प्रत्यारोपन | 2,75,000 | दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| | | | 2,75,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 2,75,000/–(दो लाख पचहत्तर हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'' खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000893 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 50200094202233 खाता धारक का नाम–''**Health Plus Research & Medicentre LLP**'' खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **HDFC BANK,** शाखा का नाम– SAPRU MARG HAZRATGANJ BRANCH LUCKNOW 226001, **ब्रांच,** RTGS/ IFSC कोड स0 HDFC0001267 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक**

है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2888 (14) पटना, दिनांक 22/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 000893...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/24
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार, पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा0 लि0
डी0एल0 डबलु हाईडील रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनाक . .

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | गीता देवी<br>पति– रामजीत सिह<br>ग्राम– अकोढी मेला<br>पो0– कस्थरी<br>थाना– सोनहन<br>जिला– कैमूर भभुआ | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | मीरा देवी<br>पति– परशुराम जी केशरी<br>ग्राम– नई बाजार<br>पो0– बक्सर<br>थाना– मॉडल<br>जिला– बक्सर | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,80,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,80,000/– (एक लाख अस्सी हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000813 . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0–**36180579026,** खाता धारक का नाम– **APEX WELCARE PVT, LTD** खाते का प्रकार– , बैक का नाम– **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**, शाखा का नाम– **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI** RTGS/IFSC कोड स0–SBIN0009252 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक माग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2889 (14) पटना, दिनांक 22/10/2026

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 000893 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/26

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
गंगा सेवा सदन हॉस्पिटल,
चॉदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म),
बनारस बीड्स के पास,
वाराणसी–221106

पटना, दिनांक .. ... .

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक– **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:–

| **क्रमांक** | **मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या** | **बीमारी का नाम** | **अनुदान की राशि** | **राशि शब्दो में** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | | **5** |
| 1 | आदित्य पाठक<br>पिता– सुरेन्द्र पाठक<br>ग्राम– कम्पनी सराय<br>पो0+थाना– सासाराम<br>जिला– रोहतास | कोकलियर इम्प्लाट | 3,00,000 | तीन लाख स्वीकृत। |
| | | | ₹ 3,00,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 3,00,000/– (तीन लाख)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000893 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **60515973070,** खाता धारक का नाम– **GANGA SEWA SADAN HOSPITAL,** खाते का प्रकार– **CURRENT ACCOUNT**, बैंक का नाम– **BANK OF MAHARASHTRA,** शाखा का नाम– **VARANASI,** RTGS/IFSC कोड सं0– **MAHB0001290** में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायं । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**
6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2890 (14) पटना, दिनांक 22/10/2024

**प्रतिलिपि**– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 000893.. की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि'**– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई/टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.10.24

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
Adarsh Hospital,
N-8/248 E-D, Newada, Sunderpur,
(B.H.U. - D.L.W. Road),
Varanasi - 221005

पटना, दिनाक... . ..

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जगरोशना देवी<br>पति– जगनारायण तिवारी<br>ग्राम– लोकनाथपुर<br>पो0– धनेज<br>थाना– करगहर<br>जिला– रोहतास | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| | | | ₹ 80,000/– | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 80,000/– (**अस्सी हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोउ, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000893 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **596401010050415,** खाता धारक का नाम– **ADARSHCURE MEDICITY PVT LTD.,** खाते का प्रकार–, बैक का नाम– **UNION BANK OF INDIA,** शाखा का नाम– **BHIKAHRIPUR, VARANASI,** RTGS/IFSC कोड स0– UBIN0559644 में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2891(14) पटना, दिनाक 22/10/2026

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे )/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, **संबंधित मरीज को** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10/26
निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार, पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड
पी0 बी0 न0–3,भेल्लोर–632004

पटना, दिनाक

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | विकास कुमार<br>पिता– राजा राम यादव<br>ग्राम– कखडा<br>पो0– सोहसराय<br>थाना– नूरसराय<br>जिला– नालदा<br>सीएमसी न0– एएन 83189 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | श्रुमिला देवी<br>पति– श्रीभगवान सिह<br>ग्राम– कल्याणपुर<br>पो0– इंदौर<br>थाना– इटाढी<br>जिला– बक्सर<br>सीएमसी न0– एक्यू 72101 | हृदय रोग<br>डीभीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 3 | जुगेश्वर प्रसाद<br>पिता– ढाको महतो<br>ग्राम– बहेरा<br>पो0– समहरीगढ<br>थाना– वारसलीगज<br>जिला– नवादा<br>सीएमसी न0– 873526 जी | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 4 | भोला मंडल<br>पिता– स्व0 नारायण मंडल<br>ग्राम– शैर<br>पो0+थाना– झाझा<br>जिला– जमुई<br>सीएमसी नं0– ए पी 83446 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | मोना कुमारी<br>पिता– मगल चौधरी<br>ग्राम– मनियारचक<br>पो0+थाना– पीरी बाजार<br>जिला– लखीसराय<br>सीएमसी न0– ए आर 08658 | ब्रेन सर्जरी (ट्यूमर) | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 6 | मो0 रियाजुद्दीन<br>पिता– मो0 मिराज<br>ग्राम+पो0– बेलवरीश<br>थाना– बेदेया<br>जिला– औरगाबाद<br>सीएमसी न0– ए क्यू 59311 | बोन मैरा ट्रांसप्लाट | 3,00,000 | तीन लाख स्वीकृत। |
| 7 | प्रियका कुमारी<br>पिता– हीरा यादव<br>ग्राम+पो0+थाना– पकरी बरावॉ<br>जिला– नवादा<br>सीएमसी नं0– ए पी 65387 | हृदय रोग पीटीसीए | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | मिथिलेश कुमार सिह<br>पिता– मणि प्रसाद सिंह<br>ग्राम– मेहरपुर<br>पो0– कदराचक<br>थाना– शभुगज<br>जिला– बांका<br>सीएमसी न0– 723922 एफ | ह्रदय रोग<br>सीएबीजी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 9 | तिलकी देवी<br>पति– यमुना नायक<br>ग्राम– भगवानपुर वार्ड 05<br>पो0– चदौती<br>थाना– बेलागज<br>जिला– गयाजी<br>सीएमसी न0– 592169 पी | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 10,80,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,80,000/– (**दस लाख अस्सी हजार**) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000893 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–36889551846, खाता धारक का नाम– C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–एस0बी0आई0, शाखा का नाम–.भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001618 मे अंतरित किया जाता ।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

7. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0 /–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2892(14) पटना, दिनाक 22/10/2026

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 000823 .की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभो संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/26

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
अमृता इस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईस एण्ड रिसर्च सेन्टर,
माता अमृतानंदामाई मार्ग,
सेक्टर 88 फरीदाबाद,
हरियाणा–121002

पटना, दिनाक ... .. ..

विषय:– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | फुलेना कुंवर<br>पिता– स्व0 गीता कुंवर<br>ग्राम– लोहियानगर वार्ड 28<br>पो0– सुह्रदनगर<br>थाना– लोहियानगर<br>जिला– बेगूसराय | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | **1,00,000** | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000/–** (**एक लाख**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000893 .... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–019600100024481, खाता धारक का नाम– **AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH CENTRE.** खाते का प्रकार– बैंक का नाम– **DHANLAXMI BANK,** शाखा का नाम– **CROWN COMPLEX, NIT FARIDABAD, HARYANA, 121001, 196-FARIDABAD HARYANA,** RTGS/IFSC कोड स0 DLXB0000196 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक**

है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5 चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी तिभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2893 (14) पटना, दिनांक 22/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक स0 000893 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 22/10/26

स0स0 14/एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
बी0एम0 बीडला,हार्ट रिसर्च, सेंटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता–700027

पटना, दिनाक ..... . .

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | देवलाल यादव<br>पिता– देवधारी यादव<br>ग्राम– हसपुरा<br>पो0– पूना कला<br>थाना– परैया<br>जिला– गयाजी | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | शम्भू कुमार<br>पिता– शिव कुमार राय<br>ग्राम– सदापुर महुआ<br>पो0+थाना– महुआ<br>जिला– वैशाली | वास्कुलर<br>सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 2,00,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 2,00,000/– (दो लाख)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000893 . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0– **232102000000002,** खाता धारक का नाम– बी0एम0 बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**इंडियन ओवरसीज बैंक,** शाखा का नाम–**7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकता–700027 ब्रांच,** RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA0002321 में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक माग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code-SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

**इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2894(14) पटना, दिनाक 22/10/2026

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 100893...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 22/10/26

सं0स0 14/एम 11–01/2026

**निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं**

**बिहार,पटना**

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
Himlayan Hospital
(A consdituent Unit of Swami Rama Himalayan University)
Swami Rama Nagar, Jolly Grant,
Deharadun, Uttarakhand - 248016

पटना, दिनाक ... ..... . .

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **14.10.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सुधीर सिह<br>पिता– केदार सिह<br>ग्राम– करमैनी गाजी<br>पो0– नेचुआ जलालपुर<br>पो0– कुचायकोट<br>जिला– गोपालगज | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 1,00,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000/–** (**एक लाख**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000893.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0– **733901000479,** खाता धारक का नाम– **SRHU HIMALAYAN HOSPITAL OTHER CREDIT BILLING**, खाते का प्रकार–, बैक का नाम– **ICICI BANK,** शाखा का नाम– **DOIWALA, DEHRADUN,** RTGS/IFSC कोड स0 **ICIC 0007339** मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक**

ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code-SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2895(14) पटना, दिनाक 22/10/2026

**प्रतिलिपि–** शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000893...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि–** लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 22/10/26